कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर।

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर स्थान पडरौना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाई कर्मी 01 पद) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/–, 5000/– व 2000/– रूपये पर अस्थायी रूप से 28.02.2019 तक के लिये नियुक्ति जरिए आउटसोर्सिंग की जानी है। तद् हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, नियम व शर्तें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट http://WWW.Allahabadhighcourt.in से सम्बद्ध जिला न्यायालय, कुशीनगर की वेबसाइट WWW.Allahabadhighcourt.in>district>kushinagar से डाउनलोड किया जा सकता है।

(शालिनी सागर)
सिविल जज (सी०डि०)/प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कुशीनगर।

दिनांक : 10/5/18

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कुशीनगर स्थान पडरौना

<u>नियम व शर्तेंः–</u>

1– सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाई कर्मी 01 पद) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/–, 5000/– व 2000/– रूपये पर अस्थायी रूप से 28.02.2019 तक के लिये नियुक्ति की जायेगी। नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई–पेमेंट/चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा और संबंधित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे। संबंधित कर्मचारी और प्राधिकरण के मध्य इस संबंध में कोई संव्यवहार अथवा पत्राचार नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त अस्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता होगी :–

(i) चपरासी – हाईस्कूल उत्तीर्ण

(ii) चौकीदार – कक्षा 8 उत्तीर्ण

(iii) सफाई कर्मी – कक्षा 5 उत्तीर्ण

उपरोक्त के अतिरिक्त उसे अच्छे आचरण एवं चाल–चलन वाला, आज्ञाकारी व विनम्र होना अनिवार्य है।

2– सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कोई आपराधिक इतिहास और उस पर अनैतिक आचरण का कोई आरोप नहीं होना चाहिए।

3– सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गया कर्मचारी जनपद कुशीनगर का मूल निवासी होना चाहिए।

4– आवेदन निःशुल्क है।

5– आवेदन–पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जजशिप, कुशीनगर स्थान पडरौना के कार्यालय में दिनांक 21.05.2018 को सायं 5:00 बजे तक जमा किया जा सकेगा।

6– सेवा प्रदाता स्वंय के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर से 100 रूपये के स्टाम्प पर उपरोक्त आशय का एक इकरारनामा निष्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति के आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यता धारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।

7– सेवा प्रदाता की सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व स्तर पर समाप्त कर दी जायेगी।

(शालिनी सागर)
सिविल जज (सी०डि०)/प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कुशीनगर।

दिनांक :

प्र० सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कुशीनगर स्थान पडरौना